राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 जयपुर,दिनांकः 13 MAR 2019

–ःपरिपत्रः–

विषयः– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन IPR भरने के सम्बन्ध में।

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 31.12.2018 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2018 (1 जनवरी 2019 की स्थिति में) का अपना अचल सम्पति विवरण SSO-ID से राज–काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरे जाने थे।

जिन राजपत्रित अधिकारियों ने वर्ष 2018 (01 जनवरी 2019 की स्थिति में) का अपना अचल सम्पत्ति विवरण ऑन लाइन नहीं भरा है। उन राजपत्रित अधिकारियों को एक अंतिम अवसर देते हुए राजकाज सॉफ्टवेयर पर अपना अचल सम्पत्ति विवरण भरने के संबंध में 30 अप्रेल 2019 तक समय सीमा बढ़ाई जाती है।

अन्तिम अवसर 30 अप्रेल 2019 तक प्रदान करने के बावजूद भी जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण अपलोड नही करते है, तो उन राजपत्रित अधिकारियों की देय वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति एवं विजिलेंस क्लीयरेंस स्वीकृत नही की जावेगी।

(रोली सिंह) 12/3/19
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–राजप/डीपीसी/अचल.स.वि/2019/ 143 दिनांक : 14.3.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
7. उप महानिरीक्षक, आर.ए.सी., राजस्थान।
8. समस्त अधीक्षक संलग्न,चिकित्सालय संघ राजस्थान।
9. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
11. समस्त राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण 30.04.2019 तक आवश्यक रूप से स्वयं के द्वारा ऑनलाईन भरा जाना है। इसके अभाव में समस्त परिलाभों से वंचित रहने की समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
12. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने एवं समस्त संबंधित को ई–मेल द्वारा भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है।

14.3.19

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

14/3